विविध बीजों की किसानों के हाथ में बहाली

बीज खेती की आत्मा है। स्थानीय अनुकूल विविधता आधारित फसल पद्धतियां और आवश्यक मात्रा में अच्छी गुणवत्ता के बीज की समय पर उपलब्धता सतत खेती के लिये जरूरी है। भारतीय संदर्भ में बीज समुदाय का साझा संसाधन है जिसे हजारों वर्षों में सावधानी से प्रजनित , संरक्षित और तैयार किया गया है। हालांकि आज बीज पैकेज और लाभप्रद कमोडिटी में बदल गया है। बीज का चुनाव उसे उगाने में किसान द्वारा अपनाए जाने वाले तकनीकी विकल्पों का निर्धारण करेगा।

आज , प्रौद्योगिकीय उन्नति , बाजार की दखलंदाजी और उद्योग समर्थक नीतियों तथा कानूनी प्रणाली ने बीज को वाणिज्यिक स्वामित्व का संसाधन बना दिया है, किसान तथा उसकी फसल से बीज को अलग कर दिया है जो उनको बोने के लिये आवश्यक है। प्रौ़द्योगिकी, कानूनी ढांचा , बाजार दखलंदाजी और बीज प्रतिस्थापन दर जैसी अवधारणा बीज के बढ़ते बाजारीकरण/ जिंस बनते जाने, उसके कार्पोरेटीकरण/एकाधिकारवाद और किसानों से उसके अलग होने के लिये जिम्मेदार कारक हैं। नीति नियंता बीज के संदर्भ में इस बदलाव के पक्षधर हैं और इस समय ऐसा कोई नियामक तंत्र/वैधानिक ढांचा नहीं है जो किसानों और उनके हक को प्रयासों के केन्द्र में रखे। सरकार के यह नजरिया अपना लेने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों की भूमिका तेजी से कम होती जा रही है।

बीज संप्रभुता

बीज की संप्रभुता आधारहीन वैचारिक स्थिति नहीं है बल्कि खेती की आजीविका और किसानों के नियंत्रण मे रहते हुए विविध बीज के बीच के गहरे संबंध को देखते हुए आशावादी नजरिया है। यह खाद्य सुरक्षा और समुदाय या देश की संप्रभुता का अभिन्न हिस्सा है। बीज को बहुराष्ट्रीय कंपनियों , वह भी मोनसेंटों जैसे कार्पोरेशन को जो एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों और कार्यों के लिये कुख्यात है को सौंपना भारत में लाखों लोगों की आजीविका के लिये विनाशकारी है। हाल के अध्ययन में यूरोप में देखा गया कि जो देश जीएम फसलें उगा रहे हैं वहां किसानों ने पाया कि उनके बीज के विकल्प कम हो गये हैं जबकि ऐसे देश जो जीएम फसलें नहीं उगा रहे हैं वहां किसानों ने देखा कि उनके बीज के विकल्प बढ़ गये हैं। यह हमारे अपने देश में भी देखा जा सकता है जहां उगाये जा रहे कपास में से 95 प्रतिशत बीटी कॉटन बताया जाता है और इसमें से कपास बीज के बाजार के 93 प्रतिशत हिस्से का नियंत्रण मोनसेंटो के पास है। कपास बीज के कई दर्जन ब्रांड में प्रयुक्त होने वाली प्रौद्योगिकी मोनसेंटो के स्वामित्व वाली प्रौद्योगिकी है। कानूनन हो सकता है कि भारत में ब्रांडेड बीज पर मोनसेंटो का कोई पेटेंट न हो लेकिन वास्तव में सार्वजनिक क्षेत्र के कपास बीज का मोनसेंटो के इवेंट से सम्मिश्रण हो जाने के नतीजतन बाजार से बीज को वापस लेना पड़ सकता है। बौद्धिक संपदा अधिकार के संदर्भ में यह अलिखित शिष्टाचार है जिसको निभाना पड़ता है। दूसरी जगहों पर देखा गया है कि मोनसेंटो के बीज प्रौद्योगिकी के सब लाइसेंस अनुबंधों में ऐसे नियम निहित हैं जिनसे किसानों के बीज विकल्प कम हो जाते हैं। सीड जायंट्स वर्सेज यूएस फार्मर्स नाम की रिपोर्ट (2013) अमेरिका में बीज के बाजार पर नियंत्रण के लिये कंपनियों को लाने में जीई की भूमिका और इसके नतीजतन किसानों के अधिकारों पर अंकुश को स्पष्ट तौर पर रेखांकित करती है। इसके अनुसार सैकड़ों की संख्या में

किसानों पर बीज बचाने या बीज को दोबारा बोने के अपराध में मोनसेंटो जैसी कंपनियों द्वारा मुकदमे थोपे गये और जेल भेजा गया। यहां तक कि गैर जीएम फसलें उगाने वाले किसानों के खेतों में भी मोनसेंटो के जीएम बीज आ जाने पर संदूषित फसल के लिये भी किसानों को प्रताड़ित किया गया। दिसंबर 2012 की स्थिति में मोनसेंटो ने 27 राज्यों में 410 किसानों और 56 छोटे फार्म व्यवसायों के खिलाफ 142 बीज पेटेंट उल्लंघन के मामले दर्ज कराए हैं तथा 72 रिकार्डेड फैसलों में उसे 2.3 करोड़ डॉलर राशि का भुगतान किया गया है। बहुत पहले ही 2003 में मोनसेंटो ने पेटेंट उल्लंघन के लिये किसानों पर कार्रवाई करने के मकसद से विभाग बनाकर 75 कर्मचारियों का अमला तैनात कर दिया था जिसका बजट एक करोड़ डॉलर था। यह प्रमाणित है कि कुछ कार्पोरेशन के हाथों में बीज बाजार के सिमट जाने के कारण उनको न केवल बीज विकल्प कम करने की बल्कि बीज के दाम अंधाधुंध बढ़ाने की भी छूट मिल गयी है। एक एकड़ क्षेत्र में लगाने के लिये सोयाबीन बीज की औसत लागत नाटकीय ढंग से 325 प्रतिशत बढ़कर 13.32 डॉलर से 56.58 डॉलर हो गयी। 1995 से 2011 के बीच ऐसा ही कपास और मक्के मामले में देख गया। स्पष्ट तौर पर इसका किसान की आजीविका पर सीधा प्रभाव पड़ा है। अनुसंधान में नवाचार को भी उद्योग हितैषी बौद्धिक संपदा अधिकार कानूनों की मदद से कंपनियों ने अपने पक्ष में झुका दिया है।

भारत में भी निम्न प्रवृत्ति चिंताजनक हैं –:

– बढ़ता एकाधिकारवाद : 2009 के औद्योगिक आंकड़ों के मुताबिक 250 में से 25 शीर्ष कंपनियों के पास 10 हजार करोड़ के बीज बाजार का 23 प्रतिशत हिस्सा है। इसमें भी मोनसेंटों और उसके भागीदार के पास 40

प्रतिशत। भारत में करीब चार हजार करोड़ के कपास बीज कारोबार में 93 प्रतिशत पर मोनसेंटो का नियंत्रण है।

– विविधता का क्षरण : कई फसलें और फसलों की कई किस्में खेतों से लुप्त हो गयी हैं। अधिक पैदावार वाले बीजों और संकर बीजों के आगमन ने जिसे सरकार के अधिक बीज प्रतिस्थापन दर का भी समर्थन मिला है इसे और बढ़ाया है।

– किसानों के ज्ञान और कौशल की उपेक्षा : बीज के प्रति आज के प्रौद्योगिकीय और नीतिगत नजरिये में किसान के प्रजनक और बीज संरक्षण कौशल की उपेक्षा की गयी है। अध्ययन बताते हैं कि किसानों से उनके कौशल को छीन लेने से बीज के संबंध में उनका बौद्धिक विकल्प भी प्रभावित हुआ है। अक्सर वे सनक पर बीज का चयन कर रहे हैं।

– किसान विरोधी बीज प्रौद्योगिकी : बीज प्रौद्योगिकी वास्तव में कई प्रकार से किसान विरोधी होती जा रही है : तथ्य यह है कि नयी प्रौद्योगिकी विषाक्त है, इसका नियंत्रण अन्यत्र है, बीज प्रजनन किसान की उत्पादन परिस्थितियों या जैविक परिस्थितियों में नहीं किया जा रहा है, आदि–आदि , यह सब परिदृश्य को किसान विरोधी बना रहा है।

–संसाधन व ज्ञान का निजीकरण : बीज के इर्द गिर्द कानून और नीतियां निजीकरण के पक्ष में हैं, सामग्री और ज्ञान पर विशिष्ट एकाधिकार संपदा अधिकार बनाने सहित । यह भी बड़े कार्पोरेशन के मुनाफा बनाने के मकसद के समर्थन में है न कि लाखों हिस्सेदारों के अस्तित्व के लिये।

– गुणवत्ता, व्ययसाध्यता और जवाबदेही का नियमन में अभाव है, यहां तक कि ज्यादा से ज्यादा किसान बीज व्यापारी पर निर्भरता की ओर धकेले जा रहे हैं। बीज से जुड़े विज्ञापनों और विपणन संबंधी रणनीति को लेकर कोई कानून नहीं है।

– बीज संप्रभुता को उपरोक्त सभी से हर स्तर पर खतरा बढ़ गया है।

हम क्या चाहते हैं ?

आशा की मांग है कि किसान हितैषी, किसान केन्द्रित वैधानिक व्यवस्था , संस्थागत प्रणालियां और साथ में कार्यक्रमबद्ध हस्तक्षेप के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि किसान की विविध, स्थानीय तौर पर उपयुक्त, व्ययसाध्य, उच्च गुणवत्ता बीज तथा उससे संबद्ध ज्ञान पर नियंत्रण और पहुंच हो तथासमय पर उपलब्धता हो। अगर यह वाणिज्यिक स्थिति है तो बीज की व्ययसाध्यता और बीज कारोबारी की जवाबदेही भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

इसके लिये सरकार को निम्न करना चाहिये –:

1. जब बीज संसाधन पर स्वामित्व के अधिकार का प्रश्न हो तो आशा का मानना है कि ऐसा कोई अधिकार किसी को किसी भी जीव रू‍प में प्राप्त नहीं होना चाहिये – देश में जिस तरह से खेती का उद्‌भव एवं विकास हुआ है ऐसे में यह अनैतिक भी है । तथापि यह देखते हुए कि कुछ वैधानिक व्यवस्थाएं बना दी गयी हैं (दुर्भाग्य से जो बौद्धिक संपदा अधिकार की व्यवस्था के भीतर काम करती है) आशा का मानना है कि किसानों की किस्मों पर बौद्धिक संपदा अधिकार हासिल करने से दूसरों को रोकने के लिये सरकारी एजेंसियों और अधिकारियों को सक्रियता के साथ एनबीपीजीआर रजिस्ट्री सहित सभी प्रकार के पूर्ववर्ती कौशल का इस्तेमाल करना चाहिये। इसके अतिरिक्त खुला स्रोत बीज प्रणाली स्थापित करनी

चाहिये जो किसी को भी सार्वजनिक क्षेत्र की सामग्री का इस्तेमाल कर विशिष्ट अधिकार हासिल करने से रोके।

2. सरकार को स्थानीय उपयुक्त , अधिक पैदावार और अन्य बीजों (परंपरागत या सार्वजनिक क्षेत्र प्रजनक) के किसान स्तरीय बीज उत्पादन को प्रोत्साहित और उसमें निवेश करना चाहिये। अगर संकर बीज को प्रोत्साहित करना है तो यह जैविक (किसान की) परिस्थितियों में प्रजनित, जिसका मूल समुदाय के हाथ में, कौशल प्रदान करने के साथ, समग्रता से जोखिम आकलन करने के बाद और वह भी ऐसी फसलों में हो जिनमें प्राकृतिक तौर पर विजातीय विकास की संभावना हो।

3.कृषि अनुसंधान और विस्तार प्रणाली को किसान के नेतृत्व में सहभागिता किस्म चयन एवं प्रजनन कार्यक्रम खास तौर पर महिलाओं की भागीदारी से प्राथमिकता से प्रोत्साहित करने चाहिये।

4.उपयुक्त ग्राम स्तर संस्थाओं तथा प्र्याप्त वित्तीय और अन्य सहायता के माध्यम से सामुदायिक स्तर पर बीज बैंक स्थापित करने और चलाने होंगे ।

5.निजी (वाणिज्यिक बीज) सेक्टर को वैधानिक ढांचे में काम करना चाहिये जिसमें न केवल गुणवत्ता बल्कि जिस मूल्य पर बीज बेचा जाता है उसपर भी सरकार का नियंत्रण हो। इसके अतिरिक्त जवाबदेही की पुख्ता व्यवस्था हो जिसमें जहां जरूरत हो वहां जुर्माने, मुआवजा और क्षतिपूर्ति के प्रावधान हों। नियामक व्यवस्था को सक्रियता से बीज पर एकाधिकार या चुनिंदा लोगों के नियंत्रण करने की प्रवृत्तियों पर नजर रखना तथा उसे रोकना चाहिये। क्षतिपूर्ति तंत्र सरल और समयबद्ध तथा लागत के अतिरिक्त दावों और उम्मीदों के आनुपातिक होना चाहिये । इन सभी पहलुओं को संशोधित बीज विधेयक के पारित होने से पहले समाहित करना चाहिये।

6.देशभर में सभी जीव द्रव (जर्मप्लाज्म) संग्रहण पर देश के किसान समुदायों का पहली प्राथमिकता से पहुंच होनी चाहिये।

7. केन्द्र एवं विभिन्न राजय सरकारों को निजी बीज कार्पोरेशन से अनुसंधान एवं विस्तार के संबंध में सभी सहमति पत्रों एवं निजी – जनभागीदारी तुरंत निरस्त की जानी चाहिये। संसाधनों को सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों को मजबूत करने में निवेशित करना चाहिये जिससे वे किसानों की सहायता कर सकें।

8. ऐसी बीज प्रौद्योगिकी जो पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिये घातक हो ऐसे बीज के लिये खुले में प्रयोग के लिये अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

खेती और किसान के लिये जमीन

भारत में 1950–51 की तुलना में गैर कृषि कार्य के लिये भूमि का उपयोग 2009–10 तक 280 प्रतिशत बढ़ गया। रिपोर्टिंग के संबंधित क्षेत्र में यह 1950–51 में 3.29 प्रतिशत था जो बढ़कर 2009–10 में 8.56 प्रतिशत हो गया। संपूर्ण रूप्प में 168 लाख हेक्टेयर भूमि गैर कृषि कार्य के लिये बढ़ गयी। यह परिवर्तन यह भी बताता है कि भूमि उपयोग में परिवर्तन के साथ भूमि स्वामित्व में भी बदलाव होगा। इस तरह के बदलाव के कई कारण हैं। नगरीकरण और विकास के नाम पर जमीन अधिग्रहण आदि। गौर करने की बात है कि कई नागरिक संगठनयह बात कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जमीन उपयोग के सरकारी रिकार्ड के आंकड़े अब भी गैर कृषि कार्य के लिये जमीन के उपयोग में आये तेज बदलाव को दिखाना आरंभ

नहीं कर सके हैं। अंधाधुंध जमीन अधिग्रहण हो या पवित्र नाम देकर विकास और सार्वजनिक उद्देश्य के लिये जमीन अधिग्रहण कहें अब भी सरकारी रिकार्ड में यह दर्ज होना शुरू नहीं हुआ है। ऐसे तमाम प्रमाण हैं जो दिखाते हैं कि मैदानी स्तर पर जमीन उपयोग में बहुत अधिक बदलाव हो गया है। इसमें गरीबों खासकर महिलाओं की गांव की साझा जमीन पर विभिन्न जरूरतों और अपनी भूमिका को पूरा करने के लिये (उदाहरण के लिये खाद्य और ऊर्जा की जरूरतें) पहुंच शामिल है। यह स्पष्ट है कि खेती के इस बुनियादी संसाधन –जमीन – पर नियंत्रण के बगैर कृषि आजीविका निरंतर नहीं रह सकती।

इस संदर्भ में सार्वजनिक उद्देश्य और सरकार का प्राथमिक प्रभुत्व जैसी अवधारणों को नये सिरे से देखना महत्वपूर्ण है जिसने जमीन उपयोग और स्वामित्व में ऐसे व्यापक परिवर्तनों को सुविधाजनक बनाया है। कोई भी वास्तविक जमीन अधिग्रहण तभी स्वीकार्य होगा अगर सार्वजनिक उद्देश्य की परिभाषा को थोड़ा और सीमित किया जाये , केवल दुर्लभतम मामलों में ही जमीन अधिग्रहीत की जाये वह भी बहुत सीमित जो कि सार्वजनिक उद्देश्य को पूरा करने के लिये जरूरी हो। यह दृढ़ मतह ै कि कोई भी परियोजना या उद्देश्य जो उन लोगों जिनके संसाधनों को अधिग्रहीत किया जा रहा है उनकी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों और आजीविका में खासा सुधार नहीं करता वह सार्वजनिक उद्देश्य नहीं कहा जा सकता। यह दस्तावेजी प्रमाण है कि सार्वजनिक उद्देश्य के नाम पर एक बार अधिग्रहीत की गयी हजारों एकड़ जमीन दूसरे कार्यों में लगा दी गयी जैसा कि विमानतलों के लिये जमीन अधिग्रहण के कई मामलों में हुआ है।

पूरी तरह से कम से कम जमीन के अधिग्रहण के सिद्धांत को लागू नहीं किया गया। अभी तक बताए गये उद्देश्यों से अधिग्रहीत और आवंटित

जमीन की पूरी तरह समीक्षा किये जाने की तत्काल जरूरत है ताकि यह देखा जाये कि जिस मकसद से जमीन ली गयी उसी तरह से उसका इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। अगर नही ंतो जमीन को उसके पुराने मालिक को वापस किया जाये या सबेस निचली प्रशासनिक इकाई को सौंपी जाये जिससे उसे भूमिहीनों को उपलब्ध कराने सहित ,ाद्य और आजीविका सुरक्षा के मकसद से उपयोग में लाया जा सके।

यह रोचक है कि सार्वजनिक उद्देश्य और प्रथम अधिकार का उपयोग अधिकतर औद्योगीकरण, नगरीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास के लिये किया गया लेकिन आजीविका और खाद्य सुरक्षा तथा ग्रामीण पुनरुत्थान के लिये नहीं।

खेती की आजीविका को निरंतर रखने के लिये आशा की निम्न प्रमुख मांगें हैं –:

जबरन अधिग्रहण नहीं : इसका अर्थ है स्थानीय शासन इकाई (पाली सभा/ग्राम सभा) में 100 प्रतिशत सहमति। सभी प्रभावितों के तैयार न होने पर जमीन अधिग्रहण नहीं की जा सकती। इनमें वे भी शामिल हैं जिनकी आजीविका संसाधन से आबद्ध है भले ही उनके पास स्वामित्व का अधिकार नहीं है।

किसी कृषि भूमि का अधिग्रहण नहीं : जमीन अधिग्रहण कानून से प्राप्त अधिकारों के तहत किसी भी कृषि भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। एकल फसल या दोहरी फसल की रेणी का सवाल नहीं है क्योंकि

यह राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा के अभिप्राय से नहीं है जिसके लिये चिंता की जाये बल्कि प्रभावितों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी है जो कि एकल फसल जमीन में और भी अधिक कमजोर हालत में होती है।

जमीन उपयोग नियोजन : देश में भूमि उपयोग नियोजन की प्रक्रिया आरंभ करने की तत्काल आवश्यकता है जो ग्राम सभा से आरंभ हो एवं ग्रामीण परिवारों की खाद्य और आजीविका सुरक्षा की प्राथमिकता का निर्धारण करे। यह इस महत्वपूर्ण संसाधन के संबंध में महिलाओ के स्वामित्व सहित उनकी व्यवहारिक और रणनीतिक आवश्यकताओं को प्राथमिकता पर ले। यह पशुओं के लिये चरनोई जमीन, जल संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली पर्यावरणीय सेवाओं , मछुआरों आदि की आजीविका सहित विभिन्न परिवारों की जरूरतों का आकलन करने के बाद अगर कोई जमीन अधिग्रहण के लिये उपलब्ध होती है तो उसकी तस्वीर बताएगी। जमीन उपयोग नियोजन प्रक्रिया को कानूनी वैधानिकता प्रदत्त की जाये तथा ग्राम सभा इस तरह के नियोजन के लिये अपना दावा तथा जरूरी संसाधन प्रस्तुत करें। जमीन उपयोग नियोजन प्रक्रिया के बिना देश हमेशा विभिन्न ताकतों के बीच विवाद होते देखते रहेगा तथा अपने विभिन्न सामूहिक परिभाषित विकास उद्देश्यों को पूरा करने में समर्थ नहीं हो पाएगा।

अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत कानून पेसा/ अनुसूचित क्षेत्र : अनुसूचित क्षेत्रों को प्रदत्त संवैधानिक तथा वैधानिक प्रावधानों को पूर्णतया कायम किया जाये तथा इनमें किसी तरह की शिथिलता की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

लम्बित व्यवस्थापन एवं पुनर्वास पूर्ण करें : देश में परियोजना प्रभावित और जबरन विस्थापित लाखों लोग आज भी न्यायपूर्ण क्षतिपूर्ति, राहत और पुनर्वास का इंतजार कर रहे हैं। यह इसका भी संकेत है कि अगर हालात

में आमूल चूल बदलाव नहीं लाया गया तो बहुत से अन्य लोगों के लिये भविष्य में हालात और भी भयावह हो सकते हैं। यह तात्कालिक जरूरत है कि लम्बित पुनर्वास और व्यवस्थापन की प्रक्रिया पूरी की जाये।

जमीन अधिग्रहण और जमीन देने के समझौतों की वर्तमान स्थिति पर श्वेत पत्र : सरकार द्वारा उद्योगों तथा व्यवसायों के लिये जमीन देने के मकसद से विभिन्न उद्योगों के साथ कई सहमति पत्रों और समझौतों पर दस्तखत किये गये हैं। तथापि यह तस्वीर स्पष्ट नहीं है कि विभिन्न समझौतों के तहत कौन सी जमीन, कहां, कितनी और किन नियम शर्तों पर दी जा रही है या देने का वादा किया गया है। यह बहुत आवश्यक है कि सरकार पहले अब तक अधिग्रहीत जमीन और भविष्य में जमीन अधिग्रहण से संबंधित समझौतों की स्थिति पर व्यापक और सटीक श्वेत पत्र जारी करे। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अनुमानित है कि 18 लाख हेक्टेयर से 180 लाख हेक्टेयर (जो कि आजादी के बाद के दशकों में गैर कृषि कार्य के लिये विमुख कुल जमीन के बराबर है) कुल जमीन पिछले करीब एक दशक में विभिन्न राज्यों में दे दी गयी है।

महिलाओं के लिये जमीन : खेती में महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने के लिये संपत्ति पर महिला उत्तराधिकार हकों को अमली जामा पहनाना होगा। महिलाओं को जहां अधिक से अधिक खुद खेती का प्रबंध करना पड़ रहा है वहीं भूमि स्वामित्व के अभाव में वे खेती के लिये सरकार की विभिन्न सहायता योजनाओं से वंचित हैं। यहां तक कि उन्हें किसानों के तौर पर मान्यता भी नहीं दी जाती है। यह सचमुच दुखद है जबकि इसके प्रमाण हैं कि एक सी परिस्थितियों में पुरुष किसानों के मुकाबले महिला 20 से 30 प्रतिशत अधिक उत्पादन कर सकती हैं। यह देखा गया है कि

महिला के पास जमीन का मालिकाना हक होने के महिला को स्वयं के साथ ही उसके परिवार को बहुलाभ होने हैं – इसमें बच्चों के लिये बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा, अधिक खाद्य सुरक्षा आदि समाहित है। यह महत्वपूर्ण है कि हम संबंधित विभागों की जवाबदेही और जहां जरूरी हो पुरस्कार की व्यवस्था बनाकर बेटियों को उत्तराधिकार हक प्राप्त होना सुनिश्चित करें; महिलाओं विशेष तौर पर दलित महिलाओं के नाम पर जमीन देना है तो भूमिहीन परिवारों के जमीन क्रय योजना बनाना और लागू करना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा प्रभावी कानून के समर्थन से महिलाओं के लिये वास्तविक भूमि हक खासकर सामूहिक भूमि लीज सुनिश्चित की जा सकती है। जहां कहीं भी महिलाओं का मालिकाना हक सुनिश्चित किया जा सकता हो भूमि सुधार नीति मसौदे के सकारात्मक पहलुओं को अंगीकार कर लागू करना सुनिश्चित करें।

———————————————————